राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

क्र. सं.	अपील संख्या	अपीलार्थीगण का नाम	प्रत्यर्थी विभाग
1.	1146/2017	सागरमल कटारिया	1. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर। 2. जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक प्रथम, सीकर।
2.	1147/2017	भागीरथमल कटारिया	

आदेश की दिनांक : 31.07.2024

उपस्थित :–

अपीलार्थीगण की ओर से : श्री महेश चन्द्र गुप्ता, अधिवक्ता

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री सुरेश अग्रवाल, प्रभारी अधिकारी

समक्ष :– अनन्त भण्डारी, सदस्य (न्यायिक)
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

1. उपरोक्त तालिका में अंकित दोनों अपीलों में समान आपत्ति उठायी गई है। अतः दोनों अपीलों का निस्तारण एक साथ इस आदेश के द्वारा किया जा रहा है। सुविधा की दृष्टि से अपील संख्या 1146/2017 सागरमल कटारिया बनाम निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर एवं अन्य के तथ्य अंकित किये जा रहे हैं।
2. अपील संख्या 1146/2017 में अपीलार्थी की ओर से यह कथन किया गया है कि अपीलार्थी को आदेश दिनांक 25.09.2009 के द्वारा वरिष्ठ अध्यापक के पद पर पातेय वेतन पर पदस्थापित किया गया था। इसके उपरान्त अपीलार्थी का पदस्थापन वरिष्ठ अध्यापक के पद पर किया गया। अपीलार्थी की नियमित पदोन्नति डीपीसी वर्ष 2016–17 की रिक्तियों के विरूद्ध वरिष्ठ अध्यापक के पद पर आदेश दिनांक 02.12.2016 के द्वारा की गयी। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा वर्ष 2009 से 2016 तक कोई डीपीसी नहीं की गयी और अपीलार्थी को नियमित पदोन्नति से वंचित रखा गया। उपरोक्त तथ्य अंकित करते हुए अपीलार्थी की ओर निम्न प्रकार से प्रार्थना की गयी है :–
    1. यह कि अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर अपीलार्थी की पदोन्नति वरिष्ठ अध्यापक सामान्य के पद पर सन् 2009–2010 से 2015–2016 तक रिव्यू डी.पी.सी. किये जाने के आदेश फरमावें एवं अपीलार्थी को वरिष्ठ अध्यापक सामान्य के पद पर वर्ष 2009–10 से 2015–16 तक वरिष्ठ अध्यापक सामान्य के पद पर पदोन्नति का लाभ दिया जावे।
    2. यह कि अन्य अनुतोष जो माननीय अधिकरण अपीलार्थी के पक्ष मे उचित समझे दिलवाये जावे।
3. प्रत्यर्थी विभाग की ओर से जवाब प्रस्तुत कर यह अंकित किया गया है कि अपीलार्थी द्वारा वर्तमान अपील काल्पनिक एवं आधारहीन तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत की गई, जिनका पदोन्नति नियमों से कोई संबंध नही है। अपीलार्थी

द्वारा वरिष्ठ अध्यापक सामान्य के पद वर्ष 2009–10 से 2015–16 तक पदोन्नति का लाभ चाहा है अर्थात अपीलार्थी स्वयं यह निश्चित नही कर पा रहा है कि उसकी पदोन्नति किस वर्ष में की जानी थी, जो नहीं की गई। राजस्थान सेवा विभागीय पदोन्नति नियमान्तर्गत राजकीय सेवाओं में नियुक्ति के उपरांत विभिन्न स्तरों पर आगामी उच्चतर पद में पदोन्नति राजसेवक की वरिष्ठता, पात्रता, योग्यता व अनुभव के आधार पर विहित की गई है, पातेय वेतन पदस्थापन विभाग की अस्थाई व्यवस्था है तथा पातेय वेतन कार्यरत होने के आधार पर नियमित डीपीसी/पदोन्नति में वरीयता का कोई भी प्रावधान नियमों में नहीं है। अपीलार्थी की वरिष्ठता/पात्रता/योग्यता के आधार पर इनकी मण्डल स्तरीय वरिष्ठता का निर्धारण नियमानुसार किया गया है। अपीलार्थी से कनिष्ठ किसी भी कार्मिक की पदोन्नति पूर्व के वर्षों में नहीं की गई है। अपीलार्थी द्वारा अपनी अपील में अपने से कनिष्ठ किसी भी कार्मिक की पदोन्नति होने को न ही तो वर्णित किया और ना ही चुनौती दी है तथा यह वर्णित किया है कि रिक्त पद होते हुये भी सन् 2009 से पदोन्नति नही की गई है। अतः अपील प्रिमेच्योर होने के कारण खारिज किये जाने योग्य है।

4. हमनें दोनों पक्षों द्वारा दिये गये तर्को पर विचार किया।

5. अपीलार्थी की ओर से रिव्यू डीपीसी की प्रार्थना की गयी है, परन्तु अपीलार्थी ने यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि अपीलार्थी कौन से वर्ष की डीपीसी को रिव्यू करना चाह रहा है। यह भी स्पष्ट नहीं किय गया है कि अपीलार्थी का किस डीपीसी में चयन नहीं हुआ था, जिसके कारण वह रिव्यू डीपीसी की मांग कर रहा है। अपीलार्थी की पदोन्नति विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा वर्ष 2016–17 की रिक्तियों के विरूद्ध की है। अपीलार्थी से किस कनिष्ठ व्यक्ति को पदोन्नति का लाभ दिया गया है, यह अपीलार्थी स्पष्ट नहीं कर सका है। अतः उपरोक्त परिस्थितियों के आधार पर हम अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील बलहीन एवं सारहीन होना पाते हैं। अतः दोनों अपीलें खारिज की जाती है।

6. मूल आदेश अपील संख्या 1146/2017 में रखा जावें एवं इसकी छाया प्रति अपील संख्या 1147/2017 में सलंग्न की जावें।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)